

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

PABX: 2428721-24 FAX: 0294-2428721

E-mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/275(1)/कुसुम योजना/20-21/

दिनांक :


मुख्य अभियंता,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
उदयपुर।

विषय : कुसुम योजना (Component C) अन्तर्गत कृषक हिस्सा राशि टीएडी द्वारा
वहन करने की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा संख्या 329 वर्ष 2021-22 में कुसुम योजना के अन्तर्गत टीएसपी क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गयी। जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका अनुसार जनजाति कृषक की हिस्सा राशि टीएडी मद से वहन करने की स्वीकृति दी जाती है।

H.p.	कृषक हिस्सा राशि (रूपये में)
3 H.p.	5,474.00
5 H.p.	17,250.00
7.5 H.p.	29,640.00


कृपया उक्त हिस्सा राशि का समायोजन टीएडी मद से पूर्व में हस्तांतरित की गई राशि में से की जावे।


(प्रज्ञा केवलरमानी) I.A.S
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/15671-93
प्रतिलिपि:

दिनांक: 23/06/21

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर/ डूंगरपुर/ बांसवाडा/ प्रतापगढ /आबूरोड (सिरोही)।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) पाली/चित्तौडगढ/राजसमंद।
4. अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांसवाडा/डूंगरपुर/ प्रतापगढ/उदयपुर/राजसमंद/चित्तौडगढ।
5. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पाली/सिरोही।
6. वित्तीय सलाहकार/निदेशक मोनेटरिंग/प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/संयुक्त निदेशक प्लान कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।


अतिरिक्त आयुक्त